FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

सत्र अदालत उपखण्ड अधिकारी महोदय निवाई (टोंक–राज.)

बनवारी बनाम **कन्हैया व अन्य** किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

नम्बर ....358..........सन्.......2024..........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.07.2024	वादपत्र मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश हुआ कार्यालय रिपोर्ट होने पर अवलोकन किया गया दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थी ने सार रूप से प्रार्थना पत्र में इस प्रकार के तथ्य अंकित किये कि खसरा नम्बर 1651 रकबा 0.2656 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1665 रकबा 1.1002 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1666 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1667 रकबा 0.6829 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.0740 वाके कस्बा निवाई पटवार हल्का कस्बा निवाई प्रथम तहसील निवाई जिला टोंक राज. में स्थित है की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु एवं प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार बाधा मजाहमत नही करने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावें। हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं एकपक्षीय बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का अवलोकन व मनन किया सुविधा का सन्तुलन प्रथमदृष्टिया प्रार्थी के पक्ष में प्रबल प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण उक्त भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की स्थिति को यथास्थिति बनाये रखे तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में बाधा मजाहमत नही करे तथा पाबन्द रहे। यदि उज्र हो तो आगामी तारीख पेशी दिनांक 26.9.2024 को पेश करे अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी की जाकर पत्रावली दिनांक 26.9.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)	
28/9/24	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक [illegible] अधिकार [illegible] आगामी तारीख 5/11/24 को पेश हो	Not Pres[illegible] [illegible] 16.10.24
16/10/24	वकील प्रार्थी [illegible] प्रार्थी [illegible] 1 ने उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र [illegible]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	करने का निवेदन किया। पत्रावली तलब की गई। वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी सं. 1 ने आर्डरशीट पर Not press अंकित कर हस्ताक्षर किए। वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल-शुमार होकर नियम से अभिलेखागार दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड [illegible] री सिंचाई (टो[illegible])	जनवरी